न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खेमराज बनाम रामश्री मु.नं.– 129 किस्म – T.G.	
	28/3/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। निर्णय शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
129/21	19.07.21	28.03.25

बउनवान

1. खेमराज मीना पुत्र रामसहाय मीना, निवारी बीरासना, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. दीपराम मीना पुत्र रामसहाय मीना, निवारी बीरासना, तहसील मण्डावर, दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. रामश्री मीना पुत्र रंगलाल मीना, निवासी बीरासना, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. रामोतार मीना पुत्र प्रभूदयाल मीना, निवासी बीरासना, तहसील मण्डावर, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री प्रीतम चन्द सैनी।
2. अभिभाषक अप्रार्थीगण – श्री मधुसूदन सैनी, श्री जितेन्द्र गुर्जर।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि खसरा सं. 551 रकबा 0.07 हैक्टे., 552 रकबा 0.25 हैक्टे., 553 रकबा 0.25 हैक्टे., 554 रकबा 0.07 हैक्टे., 557 रकबा 0.07 हैक्टे., 558 रकबा 0.22 हैक्टे., 559 रकबा 0.07 हैक्टे., 560 रकबा 0.07 हैक्टे., 561 रकबा 0.07 हैक्टे., 565 रकबा 0.02 हैक्टे., 75 रकबा 0.21 हैक्टे., 76 रकबा 0.22 हैक्टे., 77 रकबा 0.24 हैक्टे. कुल किता 13 कुल रकबा 1.83 हैक्टे. वाकेग्राम बीरासना तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित है। वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण एवं उसके सहखातेदारों की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि है एवं प्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त हैं। प्रार्थीगण की उक्त भूमि से अप्रार्थीगण का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। प्रार्थीगण के खसरा सं. 565 रकबा 0.02 हैक्टे. किस्म गै. मु. कुँआ की भूमि के पास ही अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है जिस कारण अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर कब्जा करने की कुचेष्टा करते रहते हैं एवं गैरसायल सं. 2 प्रार्थी के कब्जे काश्त के कुँए में नहाने धोने का गन्दे पानी को डालता है जिससे प्रार्थीगण को कुऐ में से बदबू आती है। दिनांक 13.07.21 को अप्रार्थी संख्या 1 अपने हाथ में फावडा लेकर आया एवं आते ही प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की आराजी खसरा सं. 565 में नींव खोदना चालू कर दिया। प्रार्थीगण ने उनसे ऐसा नही करने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ने ऐलानिया कहा कि यह जमीन वैसे भी खाली पडी हुई है, मै इस पर कब्जा करके रहूँगा। तब प्रार्थीगण ने उनके काफी हाथ पैर जोडे लेकिन इस पर सभी अप्रार्थीगण एकदम से नाराज हो गये एवं ऐलानिया कहने लगे कि या तो

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

तुम चुपचाप अपने घर बैठ जाना वरना इसका अन्जाम बहुत बुरा होगा। यदि ऐसा हुआ तो प्रार्थीगण की जबरदस्त नुकसान हो जावेगा जिसकी भरपाई किसी प्रकार से संभव नही होगी। अतः अर्ज है कि दौराने दावा गैरसायलान को इस अम्र की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी खसरा सं. 565 रकबा 0.02 हैक्टे. में किसी प्रकार का पुख्ता निर्माण अप्रार्थीगण नही करें एवं ना ही कुँए में गन्दा पानी निकाले एवं प्रार्थी की कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट, मजाहमत, मदाखलत बेजा ना तो स्वयं ना ही किसी अन्य से करावे। अप्रार्थीगण प्रतिबन्धित रहे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया तथा अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थीगण की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया कि अप्रार्थीगण पिछले 50 वर्षो से आराजी खसरा सं. 100 रकबा 1 बिस्वा पर काबिज चला आ रहा है जिसमें गैरसायलान के मकानात बने हुये है व चारों तरफ से पक्की बाउण्ड्री कर रखी है व राजस्व रिकार्ड में भी खसरा सं. 100 भूखण्ड व मकानात के नाम से दर्ज है। प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण के मकानात व बाउण्ड्रीवाल से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है व अप्रार्थीगण का प्रार्थीगण की भूमि से कोई संबंध नहीं है। प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र की आड में अप्रार्थीगण को बेजा परेशान कर अप्रार्थीगण की कब्जाशुदा भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है। दिनांक 13.07.21 को या अन्य किसी भी दिन अप्रार्थी सं. 1 ने खसरा सं. 565 या अन्य किसी भी भूमि में नींव खोदना चालू नहीं किया, ना ही प्रार्थीगण को धमकी दी। अप्रार्थी सं. 1 सीनियर सिटीजन रिटायर्ड वृद्ध व्यक्ति है। प्रार्थना पत्र में दर्ज समस्त कथन कपोल कल्पित व मनगढन्त है जो दावा पेश करने के लिये रचे गये है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को बेजा परेशान करने के लिये पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। दिनांक 13.07.21 को ग्राम वीरासना तहसील मण्डावर में प्रार्थी को अप्रार्थीगण ने कोई धमकी नहीं दी, ना ही जबरन नींव खोद कर पुख्ता निर्माण कार्य करने की धमकी दी तो प्रार्थीगण को कोई बिनाय दावा उत्पन्न नहीं होने से दावा वादी व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण की मकानियत व बाउण्ड्रीवाल खसरा सं. 565 में नहीं होकर खसरा सं. 566, 567 में स्थित है जिससे प्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अप्रार्थीगण के मकानियत व बाउण्ड्रीवाल आराजी खसरा सं. 566, 567 में पिछले पचासों साल से बजमाने बुजुर्गान बने हुये है, सायलान उक्त दावे व प्रार्थना पत्र की आड में अप्रार्थीगण के कब्जेशुदा भूमि पर काबिज होना चाहता है। सायलान के खिलाफ अप्रार्थीगण ने कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से प्रार्थना पत्र सायलान खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि जवाब स्वीकार फरमाया जाकर सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमायें।

प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थीगण की

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के अनुसार, ग्राम वीरासना तहसील मण्डावर में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 565 प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार है, इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। वाद लम्बित रहने की प्रक्रिया के दौरान, वादग्रस्त आराजी में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार का निर्माण किया जाता है तो मौके पर विवाद बढना संभावित है। इस कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण द्वारा नींव खोदकर मौके की स्थिति में बदलाव किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर स्थिति में बदलाव से सम्भावित विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम वीरासना तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित वादग्रस्त

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

आराजी खसरा सं. 565 रकबा 0.02 हैक्टे. के सम्बन्ध में, अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णित होने तक, वादग्रस्त आराजीयात में किसी प्रकार का पुख्ता निर्माण नहीं करें एवं ना ही कुँए में गन्दा पानी निकाले एवं प्रार्थीगण की कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट, मजाहमत, मदाखलत बेजा ना तो स्वयं ना ही किसी अन्य से करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 28.03.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)
सत्यमेव जयते

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)